

फार्म - 'क'
राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा -2 के अंतर्गत पूर्व अनुमति लेने
का फार्म
भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना विवरण

(i) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण	छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रं. एफ 3 - 13/2010/12 दिनांक 01.10.2013 द्वारा दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिले के दन्तेवाड़ा वनमण्डल के अंतर्गत बघेली परिक्षेत्र ग्राम अलनार उत्तर आरनपुर संरक्षित वन खण्ड कक्ष क्रं. 1688 एवं 1689 (खसरा क्र.- 416, 417 एवं 418) में 31.55 हे. क्षेत्र पर मेसर्स आरती स्पंज एण्ड पावर लिमिटेड रायपुर को खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति प्रदाय किया गया है। स्वीकृति में रोपित शर्त अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्ताव प्रेषित है ।
(ii) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	मानचित्र संलग्न है।
(iii) परियोजना की लागत	रु. 150 करोड
(iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रं. एफ 3 - 13/2010/12 दिनांक 01.10.2013 द्वारा दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिले के दन्तेवाड़ा वनमण्डल के अंतर्गत बघेली परिक्षेत्र ग्राम अलनार उत्तर आरनपुर संरक्षित वन खण्ड कक्ष क्रं. 1688 एवं 1689 (खसरा क्र.- 416, 417 एवं 418) में 31.55 हे. क्षेत्र पर मेसर्स आरती स्पंज एण्ड पावर लिमिटेड रायपुर को खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति प्रदाय किया गया है। स्वीकृति में रोपित शर्त अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत है ।

(v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)	संलग्न हैं
(vi) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	2475000 मानव दिवस

2-कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रं. एफ 3 - 13/2010/12 दिनांक 01.10.2013 द्वारा दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिले के दन्तेवाड़ा वनमण्डल के अंतर्गत बचेली परिक्षेत्र ग्राम अलनार उत्तर आरनपुर संरक्षित वन खण्ड कक्ष क्रं. 1688 एवं 1689 (खसरा क्र.- 416, 417 एवं 418) में 31.55 हे. क्षेत्र पर मेसर्स आरती स्पंज एण्ड पावर लिमिटेड रायपुर को खनिज लौह अयस्क का खनिज पट्टा स्वीकृति प्रदाय किया गया है। स्वीकृति में रोपित शर्त अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत है।
3.परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है (i) परिवारों की संख्या (ii) अनुसूचित जाति /जनजाति के परिवारों की संख्या (III) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	नहीं।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ?(हां/नहीं)	आवश्यक नहीं।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)	संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों /दस्तावेजों का ब्यौरा	चेक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेज संलग्न हैं।

(राजीव मुदड़ी)

डायरेक्टर

आरती स्पंज एण्ड पावर लिमिटेड

आरती हाऊस, अशोक रत्न, शंकर नगर, रायपुर(छ.ग.)

डायरेक्टर

आरती स्पंज एण्ड पावर लिमिटेड

आरती हाऊस, अशोक रत्न,

विधानसभा मार्ग, शंकरनगर, रायपुर

वन संरक्षक अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या 2011/060

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

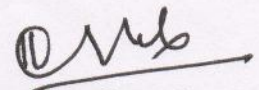
(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़ राज्य
(ii) जिला	दक्षिण बस्तर
(iii) वन प्रभाग	दंतेवाड़ा वन मंडल दंतेवाड़ा
(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	31.55 हे.
(v) वन की कानूनी स्थिति	दन्तेवाड़ा वनमण्डल के अंतर्गत बचेली परिक्षेत्र ग्राम अलनार उत्तर आरनपुर संरक्षित वन खण्ड कक्ष क्रं. 1688 एवं 1689 (खसरा क्र.- 416, 417 एवं 418) में 31.55 हे. क्षेत्र लौह अयस्क खनिपट्टा स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।
(vi) हरियाली का घनत्व	0.5 तक
(vii) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर की परिगणना और एफ आर एल 4 मीटर भी संलग्न किए जाए)	संलग्न है।
(viii) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	निरंक
(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	उत्तर आरनपुर संरक्षित वन खण्ड कक्ष क्रं. 1688 एवं 1689 के अन्तर्गत।
(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तदसंबंधी प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं।
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - 1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जाचें गए विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	दन्तेवाड़ा वनमण्डल के अंतर्गत बचेली परिक्षेत्र ग्राम अलनार उत्तर आरनपुर संरक्षित वन खण्ड कक्ष क्रं. 1688 एवं 1689 (खसरा क्र.- 416, 417 एवं 418) में 31.55 हे. क्षेत्र लौह अयस्क खनिपट्टा स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है। आवश्यकता अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्रों की उपयुक्तता व बारे में और प्रबंधकीय दृष्टि से सक्षमप्राधिकरण से प्रमाणपत्र (संबंधित वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	संलग्न है। पृ.क्रमांक संलग्न है। पृ.क्रमांक संलग्न है। पृ.क्रमांक कुल वित्तीय परिव्यय रु.1,74,60,992.00 = रु 1.746 करोड़ संलग्न है। पृ.क्रमांक
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	प्रतापित क्षेत्र 40.000 हे0 कम होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक नहीं है।
12. विभाग/जिला प्रोफाइल (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र (ii) जिले का वन क्षेत्र (iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	3410.50 वर्ग कि०मी० अरक्षित वन - 77.726 वर्ग कि.मी. संरक्षित वन - 551.152 वर्ग कि.मी. असिंमांकित वन - 421.807 वर्ग कि.मी. 1710.685 वर्ग कि. मी. दंतेवाड़ा वनमण्डल अंतर्गत वनभूमि में 20 स्वीकृत परियोजनाओं के विरुद्ध 3217.624 हे. भूमि वनेत्तर प्रयोग में लाया गया है।

(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि। (ख) वनेतर भूमि पर (v) तक प्रति पूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वनभूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर	8175.674 हे. निरंक दंतेवाड़ा वनमण्डल के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के विरुद्ध रोपित किये गये पौधों के मूल्यांकन के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण में वृद्धि हुई है। 8175.674 हे. (31.03.2016 तक) —
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रं. एफ 3 – 13/2010/12 दिनांक 01.10.2013 द्वारा दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिले के दन्तेवाड़ा वनमण्डल के अंतर्गत बचेली परिक्षेत्र ग्राम अलनार उत्तर आरनपुर संरक्षित वन खण्ड कक्ष क्रं. 1688 एवं 1689 (खसरा क्र.— 416, 417 एवं 418) में 31.55 हे. क्षेत्र पर मेसर्स आरती स्पंज एण्ड पावर लिमिटेड रायपुर को खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति प्रदाय किया गया है। स्वीकृति में रोपित शर्त अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत है अतः भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अनुशंसा एतद् द्वारा की जाती है।

दिनांक:- 26/07/2016

स्थान:- दंतेवाड़ा



वनमण्डलाधिकारी
दंतेवाड़ा वनमण्डल दंतेवाड़ा